रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 1974/श्रावण 15, 1896
No. 188] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 1974/SRAVANA 15, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE

New Delhi, 6th August 1974

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April 1974—March 1975.*

No. 112-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book-Volume II) for the period April 1974-March 1975 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 44-ITC(PN)/74 dated the 2nd April, 1974.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
116-117	B.61·1 Col. 4	(a) for entry (j), the follwing may be substituted:— "Nylon tyre yarn (80%)". (b) For entry (m), the following may be substituted:— "Caprolactum (50%)".

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त 1474

विषय.—अप्रेल, 1974–मार्च, 1975 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति ।

सं० 112-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचन संख्या 44-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74, दिनांक 2–4–74 के अन्तर्गत अप्रैल, 1974–मार्च 1975 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेडबुक के वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेडबुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
116–117	बी० 61.1 ——— कालम 4	(क) प्रविष्टि (जे) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :— "नाइलन टायर यार्न (80%)" (ख) प्रविष्टि (एम) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :— "केप्रोलेक्टम (50 %)"

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974